

# MADHUPUR NAGAR PARISHAD

भारखण्ड नगरपालिका अभिनियम-2011 की धारा 162 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये अन्वयती कर की सूचना।

Memo No. : 49823928119114852  
Date : 28-11-2019  
प्रभावी : 1 2019-2020

श्री/श्रीमती/शुभ्री RAJ SRI DEVI W/O ANAND PRASAD,  
मोहल्ला JAGNATH ROAD, NEAR AMBESICY HOTEL, GANDHI CHOWK MADHUPUR , 6204576457  
DEOGHAR , 815353

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0080000392000A4 वार्ड सं. 8 हुआ है. आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 47300/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	237.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		237.00



*(Handwritten signature)*

To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, MADHUPUR NAGAR PARISHAD Website, www.jharkhandsuda.net पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिको 11.4 के आलेख में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
3. हिरायात दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
5. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
6. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (पत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से सधारण ब्याज देय होगा।
7. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाते पर नियमावली कंडिको 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
8. MADHUPUR NAGAR PARISHAD द्वारा सग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
9. अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.